

झारखण्ड विधान सभा

कार्य सूची

पंचम् झारखण्ड विधान-सभा

20 दिसम्बर, 2023 (ई०)

बुधवार, तिथि-----

[त्रयोदश (शीतकालीन) सत्र]

29 अग्रहायण, 1945 (श०)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय-11:00 बजे पूर्वाह्न)

--:प्रश्नोत्तर:--

(01)- सभा के गत्-सत्र के अतारांकित तथा अनागत प्रश्नों के उत्तर का सभा सचिव द्वारा पटल पर रखा जाना (यदि हो)।

(02)- अल्प-सूचित प्रश्न तथा उनके उत्तर।

(03)- शून्यकाल की सूचनाएँ।

--: ध्यानाकर्षण-सूचनाएँ एवं उसपर सरकार का वक्तव्य :-

(04)- श्री मथुरा प्रसाद महतो, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(दिनांक:-18-12-23 एवं 19-12-2023 से स्थगित)

(05)- श्री सरयू राय, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(दिनांक:-18-12-23 एवं 19-12-2023 से स्थगित)

(06)- श्री राज सिन्हा, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (पथ निर्माण विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(दिनांक:-18-12-23 एवं 19-12-2023 से स्थगित)

(07)- श्री रामचन्द्र सिंह स०वि०स० एवं श्री सोनाराम सिंघू, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(दिनांक:-18-12-23 एवं 19-12-2023 से स्थगित)

(08)- सुश्री अम्बा प्रसाद, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(दिनांक:-19-12-2023 से स्थगित)

(09)- श्री नारायण दास, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(दिनांक:-19-12-2023 से स्थगित)

- (10)-श्री प्रदीप यादव, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-19-12-2023 से स्थगित)
- (11)-सर्वश्री डॉ० इरफान अंसारी ,उमाशंकर अकेला एवं श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी ,स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-19-12-2023 से स्थगित)
- (12)-श्री अनन्त कुमार ओझा,स०वि०स०, डॉ०नीरा यादव, स०वि०स० एवं डॉ० कुशवाहा शशिभूषण मेहता,स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (राजस्व,निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-19-12-2023 से स्थगित)
- (13)-श्री विनोद कुमार सिंह, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग) की ओर से वक्तव्य।
- (14)-डॉ० कुशवाहा शशिभूषण मेहता,स०वि०स०, श्रीमती अपर्णा सेनगुप्ता, स०वि०स० एवं श्री अमित कुमार मण्डल,स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (पेयजल एवं स्वच्छता विभाग) की ओर से वक्तव्य।
- (15)-सर्वश्री दीपक बिरुवा, सोनाराम सिंकू एवं श्री राजेश कच्छप,स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग) की ओर से वक्तव्य।
- (16)-श्री उमाशंकर अकेला,स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (ग्रामीण कार्य विभाग) की ओर से वक्तव्य।
- (17)-श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा,स०वि०स० एवं श्री केदार हजरा, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (उद्योग विभाग) की ओर से वक्तव्य।

-: समितियों का गठन :-

- (18)- झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम के अनुसरण में समितियों का गठन (यदि हो)।

-: सभा मेज पर कागजात का रखा जाना :-

- (19)-गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रभारी मंत्री,द्वारा झारखण्ड सरकार का संकल्प-1938, दिनांक-20-04-2021 की एक प्रति का सभा पटल पर रखा जाना।
- (20)-झारखण्ड विधान सभा की समितियों के प्रतिवेदनों का सभा-पटल पर रखा जाना (यदि हो)।
- (21)- याचिकाओं का उपस्थापन (यदि हो)।

-: राजकीय विधेयक :-

(22)-कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के प्रभारी मंत्री श्री आलमगीर आलम, प्रस्ताव करेंगे कि दिनांक 11 नवम्बर, 2022 को पारित "झारखण्ड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिणामी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए विधेयक, 2022" पर दिनांक 15 दिसम्बर, 2023 को सभा में पठित राज्यपाल के संदेश के अनुसरण में उक्त विधेयक पर विचार हो एवं स्वीकृत हो।

"प्रज्ञान इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय (निरसन) विधेयक, 2023"

(23)-उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि "प्रज्ञान इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय (निरसन) विधेयक, 2023" को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय"।

(24)-उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री, उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।

(25)-उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि "प्रज्ञान इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय (निरसन) विधेयक, 2023" पर विचार हो"।

(26)-उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि "प्रज्ञान इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय (निरसन) विधेयक, 2023" स्वीकृत हो"।

"झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023"

(27)-कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के प्रभारी मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि "झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023" को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय"।

(28)-कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के प्रभारी मंत्री, उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।

(29)-कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के प्रभारी मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि "झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023" पर विचार हो"।

(30)-कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के प्रभारी मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि "झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023" स्वीकृत हो"।

"शाईन नेशनल विश्वविद्यालय विधेयक, 2023"

(31)-उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि "शाईन नेशनल विश्वविद्यालय विधेयक, 2023" को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय"।

-: 04 :-

- (32)- उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री, उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।
- (33)- उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री, प्रस्ताव करेंगे "शाईन नेशनल विश्वविद्यालय विधेयक, 2023" पर विचार हो"।
- (34)- उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि "शाईन नेशनल विश्वविद्यालय विधेयक, 2023" स्वीकृत हो।
- (35)- अन्य नितान्त आवश्यक कार्य (यदि हो)।

सैयद जावेद हैदर

प्रभारी सचिव,

झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या:- कार्य०का०सू०-०८/२०२३-.....²⁴⁷⁴वि०स०, राँची, दिनांक-.....^{19/12/23}

प्रतिलिपि:- माननीय सदस्यगण, झारखण्ड विधान-सभा, राँची/माननीय मुख्यमंत्री/माननीय मंत्रिगण/सरकार के मुख्य सचिव, झारखण्ड/ माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/महाधिवक्ता, झारखण्ड, राँची/ लोकसभा, नई दिल्ली/झारखण्ड सरकार के समस्त विभागों के प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

^{30/12}
19.12.2023
(हरेन्द्र कुमार साह)

उप सचिव,

झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या:- कार्य०का०सू०-०८/२०२३-.....²⁴⁷⁴वि०स०, राँची, दिनांक-.....^{19/12/23}

प्रतिलिपि:- संयुक्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं निजी सहायक, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

^{30/12}
19.12.2023

उप सचिव,

झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या:- कार्य०का०सू०-०८/२०२३-.....²⁴⁷⁴वि०स०, राँची, दिनांक-.....^{15/12/23}

प्रतिलिपि:- झारखण्ड विधान-सभा के सभी पदाधिकारीगण/वेबसाईट शाखा/पुस्तकालय शाखा, जनसम्पर्क शाखा एवं झारखण्ड विधान-सभा टी०वी० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

^{30/12}
19.12.2023

उप सचिव,

झारखण्ड विधान सभा, राँची।

गोपी कृष्ण भगत/

^{30/12}
19.12.2023